## न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
| --- | --- | --- |
| 20 / 2013 | 20 / 08 / 2009 | 21 / 10 / 2025 |

जसवन्त सिंह पुत्र श्री अर्जुनलाल जाति जाट निवासी गणेशखेडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. इन्द्र सिंह दत्तक पुत्र श्री रणवीर सिंह जाति जाट निवासी गणेशाखेडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

–प्रतिवादीगण–

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हेमन्त शर्मा एड0।

प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री भागवन्त सिंह आसावत एड0।

**वाद अन्तर्गत धारा–88, 89, 92, 92ए, 188 आर. टी. एक्ट**

**निर्णय**

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी कम 2 के स्व0 पिता के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की कृषि आराजी ग्राम गणेश खेडा मे ख०नं० 68 की रकबा 67 बीघा 12 बिस्वा कृषि आराजी स्थित थी, जिसके दोनो सहखातेदारान के मध्य हुये विभाजन द्वारा ख0नं० 145 रकबा 4.13है0, व ख०नं० 146 रकबा 5.82 है० दर्ज किया गया, जिसमे वादी के ख0नं० 146 में 0.84 है० बेशी रकबा दर्ज होने से वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके निर्णय दिनाक 29.1.2003 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी कम 2 का रकबा ख0नं० 145, 146 रकबा 4.98 है० दर्ज कर दिया गया। उक्त वर्णित कृषि आराजी सेटलमेंट से पूर्व ख0नं0 68 की 33 बीघा 12 बिस्वा, वादी एवं 33 बीघा 12 बिस्वा प्रतिवादी कम 2 के पिता के राजस्व रिकार्ड में पूर्व थी किन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बन्दौबस्त अवधि मे से रिकार्ड से 0.34 है०, भूमि वादी स्वं प्रतिवादी प्रत्येक के राजस्व खाते में कम दर्ज की गई है। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादी कम 2 उक्त आराजी पर 5.32 है०, भूमि के खातेदार का काबिजी कृषक है एवं इसी अनुरूप वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त है। किन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रत्येक खातेदार के खाते में 0.34 है० राजस्व खाते में कम दर्ज की गई है। उक्त प्रविष्टि को संशोधित करने हेतु वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी एवं प्रतिवादी कम 2 द्वारा उक्त प्रविष्टि को संशोधित करवाने हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष 136 एल. आर. एक्ट मिसल नं० 45/07 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अप्रार्थी तहसील पीपल्दा एवं अप्रार्थी क्रम 2 भू सुधीर अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अपने जवाब रिपोर्ट पत्र नं० 1554 दिनाक 29.8.07 द्वारा स्वीकार किया जाकर 0.68 है०, भूमि मौके पर पूरी स्वं रिकॉर्ड में कमी होने बाबत तथ्यों को स्वीकार किया है। प्रार्थना पत्र के निर्णय दिनाक 23.9.08 न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रार्थीगणों को कैचमेन्ट ब्लॉक रिकॉर्ड प्राप्त होने के पश्चात् नवीन प्रार्थना पत्र/वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुरूप वादीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष वादी द्वारा उक्त राजत्य प्रविष्टियों को संशोधित करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। बाद कैचमैन्ट नवीन रिकार्ड में प्रार्थीगणो वादीगण का रकबा बाद कटौती वादी के राजस्व रिकॉर्ड में ख0नं० 730 रकबा 0.79 है०, एवं ख०नं० 729 रकबा 0.79 है०, अर्थात कुल 4.70 है० वादी एवं प्रतिवादी कम 2 का रकबा ख0नं 726 की 4.70 है० दर्ज किया गया है एवं प्रार्थीगणो का कमी रकबा नवीन ख०नं० 727 रकबा 0.30 है०, एवं ख0नं० 728 रकबा 0.30 है०, सिवायचक दर्ज कर दिया गया है, जिसे दुरुस्त करवा कर वादी एवं प्रतिवादी कम 2 के अपने राजस्व रिकार्ड में कमी रकबे की पूर्ति करवाने के वादी स्वं प्रतिवादी क्रम 2 अधिकारी है। उपर वर्णितानुसार वादी एवं प्रतिवादी कम 2 उक्त रकबे पर पूर्वतन काबिज काश्त चले आ रहे है, किन्तु उक्त ख0नं० 727 एवं 728 सिवायचक दर्ज हो जाने से प्रार्थीगणों को प्रतिवादी कम 1 एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा धारा 91 अतिचारी एवं वादी एवं प्रतिवादी कम 2 के खाते में उक्त सिवायचक की प्रविष्टियों को दर्ज करवाने हेतु के नोटिस

दिये जा रहे है। उक्त वर्णित विसंगितियों को दुरूस्त करने हेतु तदर्थ यह वाद न्यायालय श्रीमान की सेवा मे प्रस्तुत है। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम को उक्त प्रविष्टियो को दुरूस्त करवाने हेतु बारम्बार निवेदन किये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी कम 1 द्वारा उक्त पृविष्टियों को दुरुस्त नही करने एवं विगत दिनाक 2.8.09 को अन्तिम बार न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने पर वादी को वादग्रस्त करने हेतु विवश होना पड रहा है। वाद पत्र में प्रतिवादी कम 2 को फॉरमल पक्षकार बनाया गया है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में प्रतिवादी नं० 2 के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई सहायता नही चाही गई है। अपितु वादी एवं प्रतिवादी कम 2 के राजस्व खाते में कमी रकबे 0.30–0.30 है० बाद कटौती कैचमेंट सिवायचक आराजी ख0नं0 727 एवं 728 प्रत्येक के वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 के राजस्व रिकॉर्ड में समायोजन करवाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा वाद पत्र में वादी बनने से इन्कार करने पर प्रश्नगत वाद पत्र में प्रतिवादी नं० 2 के रूप में संयोजित किया जा रहा है। न्यायालय श्रीमान द्वारा पुसारित निर्णय दिनाक 23.9.08 में कैचमेंट रिकार्ड प्राप्त कर, नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देश्ति किये जाने एवं कैचमेन्ट पश्चात् वादी एवं प्रतिवादी कम 2 के राजस्व रिकार्ड की कृषि आराजी को पृथक रूप से ख0नं0 727 व 728 नवीन नं० कायम कर सिवायपक दर्ज करने एवं इस बाबत प्रतिवादी नं० 1 को संशोधित करने हेतु बारंबार निवेदन करने के उपरान्तमी उक्त प्रविष्टियों को दुरुस्त नहीं करने एवं न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने से वाद कारण लगातार उत्पन्न है। वाद प्रस्तुत कर निम्न विनयी है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की सादर डिक्री पारित फरमाई जाये कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 के कमी राजस्व रिकार्ड की पूर्ति वर्तमान राजस्व रिकार्ड ख0नं० 728 रकबा 0.30 है० वादी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में व ख0नं० 727 रकबा 0.30 है० प्रतिवादी नं0 2 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर वादी एवं प्रतिवादी नं० 2 का राजस्व रिकार्ड संशोधित किये जाने का आदेश मय डिग्री फरमाया जाये। वादी एवं प्रति०नं०2 का वर्तमान खाता 4.70 हैं0 के स्थान पर 5.00हैं० दर्ज किया जाये। प्रतिवादी नं० 1 को तदनुरूप राजस्व रिकार्ड मैं अमल दरामद किये जाने का आदेश मय डिकी पारित फरमाया जाने का निवेदन किया।

वादी की ओर से वाद श्री हेमन्त शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 2 की ओर से श्री भागवंत सिंह आसावत एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी कम 2 को काफी अवसर दिए जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया है। जवाब प्रतिवादी कम 2 बंद किया गया। जवाब सरकार प्राप्त जो अग्रलिखित है। प्रार्थीगण की साबिक ख.न.88 रकबा 67 बीघा 4 बिस्वा था। जिसमें बन्दोबस्त के नये ख. न.146 रकबा 4.98 हेक्टर इन्द्रसिंह के तथा ख.न. 146/1 रकबा 0.84 हेक्टर ख.न. 145 रकबा 4.13 हैक्टर भूमि जसवन्तसिंह के खाते दर्ज हुई। उपरोक्त आराजी का रकबा साबिक ख.न. के मुकाबले 0,80 हैक्टर कम दर्ज हुआ। केचमेन्ट के बाद उक्त खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बर 726 रकबा 4.70है0, ख0न0ं 729 रकबा 0.79है0, ख0नं0 730 रकबा 3. 90है0 कुल किता 3 कुल रकबा 9.39है0 पैमूद किए गए। इस प्रकार साबिक ख0नं0 के रकबे से बन्दोबस्त के दौरान 0.80है0 रकबा कम दर्ज हुआ। बाद कैचमेंट भूमि सुधार की सामान्य कटौती 0.56है0 की गई तथा दो नये खसरे 727 रकबा 0.30 किस्म नहरी I तथा खसरा 728 रकबा 0.30 किस्म नहरी I रिकॅार्ड दर्ज हुई। जो सिवायचक रिकॅार्ड दर्ज है। उक्त सिवायचक खसरा नं0 727 रकबा 0.30 हे0 किस्म नहरी I तथा सिवायचक ख0नं0 728 रकबा 0.30है0 किस्म नहरी I पर प्रार्थीगण/वादीगणों के द्वारा काश्त की जा रही है। समीप में अन्य कोई सिवायचक काबिज काश्त भूमि नहीं है इस प्रकार ख0नं0 727 रकबा 0.30है0 किस्म नहरी I तथा 728 रकबा 0.30है0 किस्म नहरी I सिवायचक भूमि से प्रार्थी के कमी रकबे की पूर्ति की जा सकती है।

वादी की ओर से साक्ष्यवादी शपथ पत्र जसवंत सिंह पी0डब्लयू0 1 पेश किया। जसवंत सिंह ने वाद के समर्थन में जमाबन्दी ग्राम गणेशखेडा सम्वत 2033–36 प्रदर्श पी–1, जमाबन्दी खाता 62 गणेशखेडा प्रदर्श पी–2, नक्शा ट्रेस गणेशखेडा प्रदर्श पी–3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी–4, नक्शा ख0नं0 146 प्रदर्श पी–5, जमाबन्दी प्रदर्श पी–6 ग्राम गणेशखेडा सम्वत 2059–62, जमाबन्दी ग्राम गणेशखेडा प्रदर्श पी–7, जमाबन्दी ग्राम गणेशखेडा प्रदर्श पी–8, रिपोर्ट पटवार मण्डल लुहावद दिनांक 12.05.2008 प्रदर्श पी–9, निर्णय दिनांक 23. 09.2008 मि0नं0 45/07 प्रदर्श पी–10, नोटिस 91 प्रदर्श पी–11, फर्द इख्तलाफ कैचमेंट

सन 2007–08 प्रदर्श पी–12, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–13, नकल ग्राम गणेशखेडा सम्वत 2063–66 प्रदर्श पी–14, जमाबन्दी ग्राम गणेशखेडा प्रदर्श पी–15 पेश किए।

वकील प्रतिवादी कम 2 ने साक्ष्य प्रतिवादी व बहस करना नहीं चाहते है। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन मनन किया। हस्तगत प्रकरण में साबिक ख0नं0 68 रकबा 67 बीघा 4 बिस्वा (10.75है0) के बंदोबस्त संक्रिया के पश्चात नये ख0नं0 146 रकबा 4.98है0, ख0नं0 145 रकबा 4.13है0, ख0नं0 146/1 रकबा 0.84है0 कुल किता 3 कुल रकबा 9.95है0 पैमूद किए गए जो कि साबिक ख0नं0 68 के 67 बीघा 4 बिस्वा (10.75है0) से 0.80है0 कम कायम किए गए है। उपरोक्त आराजी का कैचमेंट हुआ है और कैचमेंट के बाद भूमि सुधार की सामान्य कटौती 0.56है. की जाकर वाद कैचमेंट नवीन ख0नं0 726 रकबा 4.70है0, ख0नं0 730 रकबा 3.90है0, ख0नं0 729 रकबा 0.79है0 पैमूद किए गए है। वादी ने बन्दोबस्त संक्रिया के दौरान कम किए अपने रकबे 0.80है0 कि पूर्ति हेतु ख0नं0 727 रकबा 0.30है0 एवं ख0नं. 728 रकबा 0.30है0 बताया है। जवाब सरकार में भी उक्त 0.80 कमी रकबे की पूर्ति ख0नं0 727 रकबा 0.30है0 एवं ख0नं0 728 रकबा 0.30है0 किस्म नहरी I से किए जाने बाबत लिखा है। परन्तु वाद पत्र में जवाब दावा में जवाब सरकार एवं बहस के दौरान भी विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह साक्ष्य पेश नहीं किए गए कि आया सातिबक ख0नं0 68 रकबा 67 बीघा 4 बिस्वा (10.75है0,) के भू–प्रबन्ध कार्यावाही के दौरान बनाए गए नवीन ख0नं0 146 रकबा 4.98है0, ख0नं0 145 रकबा 4.13है0, ख0नं0 146/1 रकबा 0.84है0 किता 3 कुल रकबा 9.95है0 में से शेष रहा रकबा किस नम्बर में बढाया गया है। उपलब्ध रेकॉर्ड से यह कतई सिद्ध नहीं होता है कि आया साबिक ख0नं0 68 का सेटलमेंट पश्चात शेष 0.80हे0 रकबा से कौन सा खसरा बना है। वादी अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा

# न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– **हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०**

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 20/2013 | 20/08/2009 | 21/10/2025 |

जसवन्त सिंह पुत्र श्री अर्जुनलाल जाति जाट निवासी गणेशखेडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. इन्द्र सिंह दत्तक पुत्र श्री रणवीर सिंह जाति जाट निवासी गणेशाखेडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

–प्रतिवादीगण–

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हेमन्त शर्मा एड0।
प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री भागवन्त सिंह आसावत एड0।

**वाद अन्तर्गत धारा–88, 89, 92, 92ए, 188 आर. टी. एक्ट**

**निर्णय**

**यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री हेमन्त शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि** वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिकी जारी की जाती है। डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 21.10.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुदायलह | रूपये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजूह सबूत | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| मेहनताना वकील | | | मेहनताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| मुत0 | | | मुत0 | | |
| मिलान | | | मिलान | | |

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा